न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2020

श्री तीर्थराजसिंह पुत्र श्री गोविन्दराजसिंह तंवर जाति राजपूत निवासी वार्ड संख्या 10 देवनारायण मंदिर तंवर कॉलोनी के पास,आसीन्द तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।

————प्रार्थी

ब ना म

1– श्रीमान सचिव महोदय, वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति रामगढ,
कार्यालय :–वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति रामगढ तहसील बिजयनगर

2– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर

3– श्रीमान् पटवारी महोदय पटवार हल्का रामगढ, तहसील बिजयनगर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक 26.02.2021

संक्षिप्तः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगढ भूअभिलेख निरीक्षक रामगढ तहसील बिजयनगर की जमाबंदी संवत 2069–2072 के अनुसार खाता संख्या 318 खसरा नंबर 3817/2754 रकबा 0.1618 हैक्टयर बारानी–3 स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है, जिस पर प्राथी शांतिपूर्ण तरीके से मालिक काबिज, काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता सदियो से पूर्वजो के समय से खसरा नंबर 5330/2754 में से रहा है, एवम् इन्ही भूमियो में से प्रार्थी अपनी भूमियो मे आता जाता रहा है। उक्त खसरा नंबर 5330/2754 की भूमि में से होकर प्रार्थी विधि अनुसार रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त खसरान के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग अधिकार सुखाधिकार नही है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि येनकेन निरन्तर उपयोग उपभोग लिये जाने से प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी के खेत की भुजा 40 मीटर समानान्तर 25 फीट चौडाई में सम्पूर्णतया माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार रास्ता उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है। जिसकी प्रार्थी डी0एल0सी0 दर से भुगतान हेतू सहमत है। प्रार्थी के सदियो से चली आ रही रास्ते की भूमि वृक्ष उत्पादक समिति रामगढ के खाते में दर्ज है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। दिनांक 2.1.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ने एवम् उनसे संबंधित कर्मचारीया ने प्रार्थी को रास्ता देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। तथा उनके खेत खसरान से आने जाने से भी इन्कार कर दिया। तथा प्रार्थी द्धारा तहसीलदार बिजयनगर को भी प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नही की गई। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 3817/2754 में आने जाने हेतू खसरा नंबर 5330/2754 में से रास्ता दिया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार बिजयनगर ने अपने रिपोर्ट क्रमांक 146 दिनांक 11.01.2021 में कथन किए हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतू कोई रास्ता नही है। तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतू खसरा नंबर 5330/2754 का उपयोग कर रहा है। तथा प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई मार्ग नही है। प्रार्थी की भूमि तक पहुंचने के लिये मुख्य मार्ग तक खसरा नंबर 5350/2754 आता है, तथा रास्ते हेतू 0.0081 हैक्टयर भूमि प्रभावित होगी प्रभावित रकबा अंसिचित है। तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से रास्ता प्रस्तावित किया है। .....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13 सन् 2020

श्री तीर्थराजसिंह बनाम श्रीमान् सचिव वृक्ष उत्पादक वगैरह

प्रकरण में उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि जमाबंदी संवत 2069–2072 में वर्णित खसरा नंबर 3817/2754 का प्रार्थी खातेदार दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी सवंत 2069 से 2072 में खसरा नंबर 5350/2754 का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। तहसीलदार बिजयनगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने का कोई अन्य मार्ग नही है, तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतू मुख्य सडक तक पहुचने में खसरा नंबर 5350/2754 में से होकर रास्ता है, इस हेतू भूमि रास्ते के लिये रकबा 0.0081 हेक्टयर प्रभावित होगी। जिसकी डीएलसी दर 1,31,353/– रू. हैक्टयर बताई गई। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने इस प्रकरण में अपनी उपस्थिति भी दर्ज नही करवाई और एकतरफा कार्यवाही करवा ली है। जिससे यह ज़ाहिर होता हो कि प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो। अतः प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3817/2754 में आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः प्राथी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3817/2754 आने–जाने हेतु खसरा संख्या 5350/2754 रकबा 0.0081 हैक्टयर रास्ते हेतु अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त भूमि पर डी.एल.सी. 1,31,353/– प्रति हैक्टयर के अनुसार रास्ते में जो भूमि जायेगी उसका रकबा 0.0081 हैक्टयर के अनुसार दुगुनी रांशि अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार अदा की जावे। उक्त राशि अदा किये जाने पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त राशि प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में नियमानुसार राजकोष में उक्त राशि जमा कराई जावे जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नियमानुसार प्राप्त की जा सकेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 26.022021 को सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested